

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व

अनुशांसा के पश्चात ग्राम फागी प.स.के खाता सं. 466, 463, 464, 465, 466, 75, 468, 475

468, 69, 467, 70, 71, 72, 73, 74, 830

पत्र अनुसार स्थान पर राजेश तिवारी पुत्र सत्यनारायण तिवारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना

निश्चित करें। आदेश केम्प थाना क्षेत्र हाजाग्राम पंचायत फागी में दिनांक 30/12/25

को भजमेआम में सुनाया गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
फागी